



राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

मुख्यालय, परिवहन मार्ग, जयपुर-303001

दूरभाष 0141-2374644

क्रमांक:-एफ-4/मु./याता/लेखा (109)/2023/ 2346

दिनांक:-22.06.2023

कार्यालय आदेश

शासन उप सचिव, परिवहन, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्र क्रमांक प.17 (4)परि/2023 दिनांक 22.06.2023 के माध्यम से वित्त (व्यय-2) विभाग की आई.डी. संख्या 162300981 दिनांक 21.06.2023 से जारी महिलाओं/बालिकाओं को राजस्थान राज्य सीमा में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की सभी श्रेणी की बसों के किराये में 50 प्रतिशत छूट दिये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की अनुपालना में महिलाओं/बालिकाओं को राजस्थान राज्य की सीमा में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की सभी श्रेणी की बसों के किराये में 50 प्रतिशत छूट दिनांक 23.06.2023 से दिये जाने स्वीकृति प्रदान की जाती है।

इस रियायती यात्रा से निगम पर पड़ने वाले वित्तीय भार की गणना पूर्वानुसार आदेश संख्या एफ4/मु./याता./लेखा/2011/1335 दिनांक 07.06.2011 के अनुसार करते हुये प्रतिमाह अन्य निःशुल्क/रियायती यात्राओं के वित्तीय भार की सूचनाओं के विवरण के साथ सांख्यिकी शाखा, मुख्यालय जयपुर को प्रेषित किया जावेगा, जिसके आधार पर राज्य सरकार से उक्त राशि का पुर्नभरण प्राप्त किया जावेगा।

(नथमल डिडेल)

प्रबन्ध निदेशक

दिनांक:-22.06.2023

क्रमांक:-एफ-4/मु./याता/लेखा(109)/2023/2346

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष महोदय, रा.रा.प.प.निगम, मुख्यालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक महोदय, रा.रा.प.प.निगम, मुख्यालय, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, परिवहन, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. समस्त विभागाध्यक्ष..... रा.रा.प.प.निगम, मुख्यालय, जयपुर।
5. समस्त जोनल मैनेजर्स..... रा.रा.प.प.निगम, मुख्यालय, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक/सयुक्त महाप्रबन्धक(.....), रा.रा.प.प.निगम, मुख्यालय, जयपुर।
7. उप महाप्रबन्धक/कार्यकारी प्रबन्धक(.....), रा.रा.प.प.निगम, मुख्यालय, जयपुर।
8. उप महाप्रबन्धक (आई.टी.), रा.रा.प.प.निगम, मुख्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि वर्णित आदेश वेबसाईट पर उपलब्ध करावें एवं तदानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
9. लेखाधिकारी, टिकिट भण्डार..... रा.रा.प.प.निगम।
10. मुख्य प्रबन्धक..... रा.रा.प.प.निगम।

(संजीव कुमार पाण्डेय)
कार्यकारी निदेशक (यातायात)